23/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किये कि ग्राम रतनपुरा हाल तहसील सिकंदरा जिला दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/4, 1/4 है।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

गिर्राज v/s हरिया
टीआई - 2021/694

वादग्रस्त आराजी का आधिकारिक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है किन्तु पूर्वजो के समय से ही उक्त पक्ष मानवट है विभाजित कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को काफी रुपया खर्च कर समतल एवं उपजाऊ बनाया है। अब अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे शुदा हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है आये दिन उभयपक्षों के मध्य इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। प्रार्थी अपने हिस्से के संरक्षण के लिए अधिकृत है कि वे अप्रार्थियो को इस हेतु पाबन्द करवाये। विद्वान वकील वादी का अपने अभिवाको के समर्थन में तर्क है कि जमाबंदी संवत 2076-2079 ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा कलां से प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सह-खातेदार काबिज सिद्ध है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थियो को [illegible] वाद प्रतिबंधित किया जावे।

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवानः- गिर्राज V/S हरिया मु0न0 2021/694 किस्म - बीघाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी ग्राम रतनपुरा हाल तहसील सिकराय स्थित आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा मे निहित अपने हिस्से 1/2 के कब्जे काश्त मे दखल देने व वादग्रस्त आराजीयात का बेचान न करने हेतु अप्रार्थियो को पाबन्द करवाना चाहता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के हिस्से 1/2 का रिकॉर्ड खातेदार है यह तथ्य पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी ग्राम रतनपुरा सम्वत 2076-2079 से सिद्ध होते हैं। चूंकि प्रार्थी ने अपने वादपत्र मे कब्जे अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा है फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 व 2 यदि अपने हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण भी करे तो प्रार्थी को कोई क्षति कारित होने का कोई अंदेशा हो ऐसा प्रतीत नही होता। इसके co-tenant को पाबन्द नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण	

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा

गिरराज V/S कन्हैया
TI - 2021/674

को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल न देने बाबत पाबन्द किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण जानबूझ सूचना के अनुपस्थित रही आये हैं इनकी एकपक्षीय कार्यवाही की गई है इस कारण प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अभिकथनों का खण्डन नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्याय-संगत है।

उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई-निषेधाज्ञा विधि सम्मत पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा दि. 29-09-2021 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश इस आदेश के साथ कन्फर्म किया जाता है कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ग्राम रतनपुरा स्थित ख.न. 82 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि में निहित प्रार्थी के हिस्से 1/2 के कब्जे काश्त में दखल-अंदाजी नहीं करे। इस निषेधाज्ञा से तस्फिया वाद प्रभावशील रहे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।